न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–757 / 2020(जीसीएमएस नं. 2020 / 00646)

1. मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री नागरमल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सन्त कुमार पुत्र श्री रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. छोटेलाल पुत्र श्री रामनाथ, जाति कुम्हार, निवासी बबाई, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. राजस्था सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–
1. श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुभाषचन्द एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 20.07.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2015 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उनके भाई अन्तरसिंह एवं किशन पुत्रान श्री रामनाथ द्वारा अतिक्रमण किये गये खसरा नम्बर 119 के क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर में रडा एवं रास्ता शामिल है जिस पर अतिक्रमण किये जाने का उनको कानूनी अधिकार नही है। उपरोक्त रडा एवं रास्ता ग्राम बबाई के आम निवासीगण के सामान्य उपयोग–उपभोग के रास्ते की भूमि है जिसमें अन्य ग्रामवासीयान के साथ अपीलार्थी का भी रास्ते पर समान हित है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अतिक्रमित भू–भाग अपीलार्थी के पट्टेशुदा भूखण्ड मय मकानात के ठीक मुख्य दरवाजे के सामने है। जहॉ उन्होने रास्ते पर पुख्ता डण्डा निर्माण कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया जिससे अपीलार्थी के मकानात एवं अपीलार्थी से उत्तर की तरफ जाने वाला रास्ता संकड़ा कर दिया गया है जिससे आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने लगी है। जिसके किये अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अतिक्रमण हटाये जाने के लिये कहे जाने पर वे झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो गये। इस बाबत अपीलार्थी द्वारा पूर्व में तहसीलदार खेतड़ी को भी शिकायत की गई परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नही की गई थी। जिसके नजीतन रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने सरकारी भूमि सहित रास्ते पर कब्जा कर लिया। जिससे अपीलार्थी को हकतलफी है, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने इसी अतिक्रमीत भूमि के सम्बन्ध मे एक सिविल दावा सिविल

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

न्यायाधीश (क.ख.) खेतडी के न्यांयालय में पेश किया गया। इस दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया जिसके निर्णय के अनुसार न्यायालय ने अन्तरसिंह वगैर का प्रथम दृष्टया मामला बनना ही नही पाया अर्थात विवादित भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को कोई हित नही पाया गया। इससे भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि से अपीलार्थी का हित जुड़ा हुआ है।

अधिवक्ता अपीलन्ट ने कथन किया है कि विवादित भूमि जो खसरा नम्बर 119 गैर मुमकिन जोहड़ का भाग है, पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने गैर कानूनी कब्जा किये जाने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध शिकायत करने पर पटवारी हल्का ने मौका निरीक्षण कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही शुरू की गई जिसमें अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 07.11.2013 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को दोषी पाया गया। इस कारण उन्हे अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश फरमाया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया तो अपीलार्थी की ओर से प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र स्वयं को पक्षकार बनाने हेतु पेश किया जो प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर अपीलार्थी को पक्षकार बनाया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि तत्पश्चात् अपीलार्थी की ओर से कुछ दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली हुये परन्तु अंतिम बहस सुने जाने के पश्चात् अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजात एवं अपीलार्थी के तर्क पर न तो कोई मनन किया, न ही इस सम्बन्ध में कोई फाईन्डिग दी, ना ही कोई विवेचन किया और तहसीलदार खेतडी के निर्णय को निरस्त फरमाते हुये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जो प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी थे जिन्होने विचारण न्यायालय के समक्ष जो जवाब नोटिस पेश किया उसमें उन्होने स्पष्ट उल्लेख किया है कि उनका नया अतिक्रमण नही है बल्कि निर्मित डण्ड़ा एवं मकानात पुराने बने हुऐ है जो उनके पिता के समय से ही चले आ रहे है। इससे यह तथ्य तो स्पष्ट हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अतिक्रमी तो है परन्तु पुराने है अब यह प्रश्न यह है कि उन्होने पुराने कब्जा होने बाबत ना तो काई तारीख अंकित की, ना ही कोई दस्तावेज ही ऐसा पेश किया कि जिससे यह साबित हो कि कब्जा कितना पुराना है। जहाँ तक उनके पिता के समय का प्रश्न है हो सकता है पिता ने भी 2–5 वर्ष पूर्व ही कब्जा किया हो। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी में यह भली–भांति अंकित है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा सरकारी भूमि रडा एवं रास्ते पर हाल ही में डण्डा बनाकर कब्जा किया है जिससे रेस्पोडेन्ट के पट्टाशुदा मकानात में जाने का रास्ता कतई अवरूद्ध हो गया है। किन्तु इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गोर न करने भयंकर कानूनी भूल कारित की है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय

P.T.O.

राजस्व ... आयुक्त जयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2015 को निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2013 को यथावत रखे जाने के आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि पटवारी हल्का ने तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष एक गलत रिपोर्ट भूमि खसरा नम्बर 119 गैर मुमकिन रड़ा के तथाकथित 200 वर्गमीटर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा ईट पत्थर व पुख्ता डण्डा बनाकर अतिक्रमण करने बाबत रिपार्ट प्रस्तुत की तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में बिना कोई जांच किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश दिनांक 07.11.2013 पारित किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध गलत रूप से दुर्भावनापूर्वक रिपोर्ट ग्रामवासियों के दवाब में दी गई थी। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट में खसरा नम्बर 119 की किस्म को गैर. मु रड़ा दर्शाया है जबकि इसी खसरा नम्बर की कुछ भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी में अंकित है तथा अपीलान्ट का निमार्ण व मकान भी आबादी की भूमि में है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मकान व उक्त बाड़ा के चारों तरफ ग्राम की गहन रिहायशी आबादी बसी हुई। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेन्ट का कोई भी नया अतिक्रमण नही होने के बावजूद भी तहसीलदार ने अपना निर्णय दिनांक 11.07.2013 पारित करने के भयंकर कानूनी भूल कारित की थी।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा ग्राम पंचायत बबाई के समक्ष पटवारी द्वारा विवादित की गई भूमि के सम्बन्ध में पट्टा लेने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था तथा पट्टा शुल्क भी जमा करवा रखा था व पत्रावली ग्राम पंचायत के समक्ष विचाराधीन थी। ऐसी स्थिति में यदि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत को सूचना देते तो सही स्थिति सामने आती कि रेस्पोडेन्ट का कोई भी नया अतिक्रमण नही है बल्कि रेस्पोडेन्ट की रिहायशी मकानों के सहारे स्थित रिहायशी मकान में शामिल बाड़ा की भूमि है। किन्तु तहसीलदार ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही आदेश दिनांक 07.11.2013 पारित किया था जो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निरस्तनीय ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम पंचायत बबाई द्वारा उक्त भूमि बाबत पट्टा संख्या 091 दिनांक 20.09.2022 भी जारी किया जा चुका है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.05.2015 विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू ने वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 119 किस्म गैर.मु. रड़ा व गैर मु. आबादी होने मानते हुए व तहसीलदार खेतड़ी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में ही अलग–अलग व्यक्तियों के विरूद्ध अलग–अलग विरोधाभाषी निर्णय पारित करना मानते हुए एवं आबादी भूमि के

P.T.O.

...य आयुक्त
जयपुर

अतिक्रमितों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत स्वयं को सक्षम होना मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा ग्राम पचायत बबाई द्वारा उनके पक्ष में ग्राम पंचायत बबाई द्वारा जारी पट्टा संख्या 091 दिनांक 20.09.2022 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई जिससे जाहिर है कि जब ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट को भूमि का पट्टा विलेख दिनांक 20.09.2022 ही जारी किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के सम्बन्ध में भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है और हस्तगत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2015 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/7/23
संभागीय आयुक्त
जयपुर।